Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
By Deputation	**Deputation:** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories,— (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix in the parent cadre or Department or equivalent; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix in the parent cadre or Department or equivalent; and (b) possessing the following qualifications and experience, namely:— (i) degree from a recognised University or Institute; and (ii) three years' experience in accounts, administration, establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Body or Statutory Body. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. 4(30)/2017-18/NMNH/Admn.]

N. THYAGARAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

सा.का.नि. 179.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण और वन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय प्रकाशन सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में प्रकाशन सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्रकाशन सहायक, समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रकाशन सहायक	01* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्धाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और (ii) सरकारी, स्वशासी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं से पत्रिकाओं या जर्नलों या समाचार पत्रों या नियत-कालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन में या अभिविन्यास्त कम्प्युटर के डिज़ाइन अथवा अंकीय प्रकाशन में दो वर्ष का अनुभव । **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिग्री या डिप्लोमा । **टिप्पण 1**: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2**: अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कर्मचारी चयन आयोग या केंद्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न प्रद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दिशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी अथवा स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी,-

	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300 रू) वाले पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकथित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव हो। **टिप्पण 1 :** केवल केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधिकारी ही आमेलन के लिए पात्र होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - अध्यक्ष 2. वैज्ञानिक 'ग' या 'घ', राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय - सदस्य 3. अवर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 4(31)/2017-18/एनएमएनएच/प्रशा.]

एन. त्यागराजन, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2018

G.S.R. 179.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment and Forests, National Museum of Natural History, Publication Assistant (Group 'B' post) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Publication Assistant in the National Museum of Natural History, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, National Museum of Natural History, Publication Assistant, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Publication Assistant	01* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix.	Not applicable	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) Bachelor's degree in Botany or Zoology from a recognised University; and (ii) Two years' experience in publication of Magazines or Journals or Newspapers or Periodicals or in design of computer oriented or digital publication from Government, Autonomous bodies or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions.	Not applicable.	Two years for direct recruits.

Desirable: Degree or Diploma in Journalism from a recognised University. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Central Government, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Central Government, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(10)	(11)
By deputation (including short-term contract) absorption failing which by direct recruitment.	**Deputation** (including short-term contract). absorption: Officers of the Central or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous organisations holding,- (a) (i) analogous posts on a regular basis; or (ii) posts in level 5, Rs. 29200-92300 in the pay matrix with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis; and (b) possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column (7). Note 1: The officers from Central Government or State Governments only shall be eligible for absorption. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, National Museum of Natural History – Chairman; 2. Scientist 'C' or 'D', National Museum of Natural History – Member; 3. Under Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member; 4. Administrative Officer, National Museum of Natural History – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 4(31)/2017-18/NMNH/Admn]

N. THYAGARAJAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

सा.का.नि. 180.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण और वन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय (सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष) भर्ती नियम, 1989 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, पुस्तकालय और सूचना सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।